कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004
ई–मेल – ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

F No.14(Trans/30091)2012/FCA/PCCF/2491 दिनांक 3/9/24

मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर।

विषय– Diversion of 1.3407 ha of forest land for construction of 220 kv S/C SURATGARH-PADAMPUR Transmission Line in favour of Rajasthan Rajay Vidyut Prasaran Nigam Limited, Hanumangarh, District-SriGanganagar, Rajasthan. Proposal No. (FP/RJ/TRANS/30091/2017)

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक 6656 दिनांक 23.08.2024.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, एम ओ ई एफ सी सी, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 27.01.2023 के क्रम में वांछित सूचना प्रेषित कर सूचित किया है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन का कारण 220 के.वी. सूरतगढ़–पदमपुरा ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण कार्य जनहित में क्षेत्र पदमपुर तथा श्रीगंगानगर में विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए तकनीकी रूप से अति आवश्यक होने के कारण उस समय पदस्थापित अधिकारी श्री एल. एल. चड्डा अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड़ सी) द्वारा करवाया गया था। श्री एल. एल. चड्डा तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता निगम से वर्ष 2013 में सेवानिवृत हो चुके है जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन हेतु उन पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। आप द्वारा प्रेषित सूचना के परीक्षण उपरांत प्रतीत होता है कि आपके स्तर से बिना परीक्षण के अतार्किक एवं नियम विरूद्ध सूचना भेजी गई है, अतः उपर्युक्तानुसार प्राप्त सूचना निम्नाकिंत कारणो से स्वीकार्य नहीं है –

1. उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, एम ओ ई एफ सी सी, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 27.01.2023 के अनुसार गत 10 वर्षो में क्या कार्यवाही की गई, स्पष्ट करें।
2. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन हेतु क्या केवल सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एल. एल. चड्डा अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड़ सी) ही जिम्मेदार है तथा बिना सक्षम स्वीकृति के कार्य पूर्ण होने में वन विभाग एवं यूजर ऐजेन्सी के अन्य अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है, स्पष्ट करावें।

अतः प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवंर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लघंन हेतु दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानो के तहत जिम्मेदारी तय कर धारा 3ए एवं 3बी की कार्यवाही करें एवं उपर्युक्तानुसार कारण स्पष्ट करतें हुए पूर्ण सूचना 10 दिवस में प्रेषित करें।

उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(दिनेशकुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफसीए)
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner

F No.14(Trans/30091)2012/FCA/PCCF/ दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर।
2. Executive Engineer, RAJASTHAN RAJAY VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED, RSEB Colony, Satipura, Hanumangarh (Rajasthan)- 335512

(दिनेशकुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफसीए)
राजस्थान, जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner